5746(6)
24/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक–24/07/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत सौर–सबैला पथ के कि0मी0 0 से 9 (अंश) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2010–11 के समयवृद्धि पर SBD के अनुसार Price Escalation का लाभ देने हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1162(अनु०) दिनांक 27.03.2018 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि पर SBD के अनुसार Price Escalation का लाभ देने हेतु तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	पथ प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत सौर–सबैला पथ के कि0मी0 0.00 से 9 (अंश) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2010–11
2.2	एकरारनामा संख्या	:	04 SBD of 2011-12 Dt. 08.11.2011
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹6,96,69,674.00
2.4	संवेदक का नाम	:	M/s Vishal Builtech India Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	08.11.2011
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	07.11.2012
2.7	स्वीकृत की गई समयवृद्धि की तिथि	:	26.05.2015

3. दिनांक 03.02.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार विषयांकित कार्य में दिनांक 26.05.2015 तक समयवृद्धि की स्वीकृत इस शर्त्त के साथ प्रदान की गई है कि, विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

24.7.19

4. **समयवृद्धि की शर्त्त पर पुनर्विचार :–**

संवेदक द्वारा अपने पत्रांक–VBIL/2017-18/79 दिनांक–07.03.2018 द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि "विभागीय समयवृद्धि के स्वीकृति में Price Neutralization एवं विस्तारित अवधि का Price Index कम होने पर लागू होगा इस संबंध में मुझे कहना है कि एकरारनामा के अनुसार Price Neutralization एवं Price Index में हुए गड़बड़ी को सुधार करते हुए एकरारनामा के अनुसार कार्य का अनुमोदन किया जाए।" समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।

5. **तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णयः**

उक्त पथ ग्रामीण कार्य विभाग से हस्तान्तरित पथ है, जिसमें पूर्व से ही ग्रामीणों द्वारा लगभग पूरा पथ अतिक्रमित था। पथ को अतिक्रमण मुक्त कराते हुए कार्य को कराया गया है। मुख्य रूप से अतिक्रमण के चलते ही कार्य में विलंब हुआ तथा इसी के आधार पर समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई है। चूँकि अतिक्रमण के चलते कार्य बाधित/विलंब से होने में संवेदक को काई दोष प्रतीत नहीं होता है। अतः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में विस्तारित अवधि में संवेदक को SBD के अनुसर Price Escalation का लाभ देने हेतु पुनर्विचार की अनुशंसा की जाती है।

6. मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1162(अनु0) दिनांक–27.03.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में दिनांक–30.05.2018 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि "समाहर्त्ता से मन्तव्य लिया जाय कि क्या कार्य में इतने विलंब का कारण अतिक्रमण रहा है।"

7. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–4119(ई0) दिनांक–14.06.2018 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्रतिवेदन की मांग की गई। इसके अनुपालन में अपर समाहर्त्ता, अंचल, सहरसा के पत्रांक–88–2/रा0 दिनांक–18.01.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "पथ प्रमंडल, सहरसा अन्तर्गत सौर–सबैला पथ के कि०मी० 0 से 9 (अंश) तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य अवरूद्ध के कारण अतिक्रमण संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–लक्ष्मीनियाँ के खेसरा–77(नया) में ईंट के दिवार देकर सड़क की चौड़ाई को अतिक्रमित किया हुआ है तथा मौजा–बराही में खेसरा–813 को ग्रामीण द्वारा आंशिक रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। अमीन द्वारा ट्रेश नक्शा प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर इस प्रतिवेदन के साथ भेजी जा रही है।"

24.7.19 24.7.19

8. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

8.1 मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–1162(अनु०) दिनांक 27.03.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा अपर समाहर्त्ता के पत्रांक–88–2/रा0 दिनांक–18.01.2019 द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत निर्णय लिया गया कि पथ प्रमंडल, सहरसा के अन्तर्गत सौर–सबैला पथ के कि0मी0 0 से 9 (अंश) में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2010–11 (एकरारनामा सं0–04 SBD of 2011-12) हेतु विस्तारित अवधि में संवेदक को समयवृद्धि प्रदान किए जाने के फलस्वरूप Delayed Work के लिए Withheld amount forfeit समझा जाएगा तथा Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

8.2 विभागीय ज्ञापांक–3744(ई0) दिनांक–31.05.2018 एवं ज्ञापांक – 780(ई) दिनांक – 5/2/18 द्वारा संसूचित निर्णय को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

8.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

24.7.19	24.7.19	24.7.19	24.7.19
(राजकुमार लाल) मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(रत्नेश कुमार) अपर सचिव –सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(भवानी नंदन) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	(अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7/विविध (स०वृ०)–112/2016– 5746(ई) पटना, दिनांक 24/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24.7.19
(भवानी नंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना